विश्व मामलों की भारतीय परिषद
01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपए मे)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I.प्रारंभिक शेष		
(क) नकद रोकड़	-	-
(ख) बैंक में जमाराशि		
भारतीय स्टेट बैंक चालू खाता	17,50,032	1,05,52,525
भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता	2,07,50,157	79,49,957
(ग) अन्य		
अग्रदाय खाता	5,000	5,000
प्रेषक के पास डाक टिकटें	9,202	3,454
चेक इन हैंड	-	-
II. अनुदान		
एमईए से अनुदान - सामान्य	8,58,82,727	9,98,00,000
एमईए से अनुदान - वेतन	1,56,00,000	1,52,00,000
एमईए से अनुदान - परियोजना	2,17,54,640	47,27,237
III. आय		
पुस्तकालय की सदस्यता	1,01,300	73,900
विविध आय	70,013	88,804
रायल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	9,71,928	88,352
बचत खाते से अर्जित व्यय	21,44,797	10,99,625
IV. अन्य प्राप्तियां		
प्रतिभूति जमा - पुस्तकालय	36,400	19,900
अग्रिम धनराशि	-	10,000
कर्मचारियों से त्यौहार अग्रिम की वसूली	23,143.00	-
वसूल किए गए अन्य अग्रिम	1,35,828	24,356
रद्द चेक	3,000	3,840
अप्रयुक्त अनुदान/भुगतान की वसूली	-	2,50,000
अन्य	-	36,628
कुल अग्रनीत	14,92,38,166	13,99,33,578

भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. व्यय		
(क) संस्थापना व्यय		
वेतन, पी एफ आदि	1,38,94,159	1,23,62,284
बोनस	-	91,531
उपदान व्यय	1,13,836	14,59,076
पेंशन फंड में परिषद का अंशदान	3,33,150	3,48,907
स्टाफ कल्याण व्यय	21,377	-
प्रशासनिक निरीक्षण प्रभार - आरपीएफसी	16,556	14,426
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11,34,974	13,43,589
कर्मचारियों का सामूहिक बीमा	1,28,904	1,01,152
एल टी सी व्यय	19,965	2,38,530
छुट्टी नकदीकरण (एल टी सी)	15,597	48,251
(ख) प्रशासनिक व्यय		
विज्ञापन व्यय	1,53,274	56,856
लेखापरीक्षा शुल्क	1,09,300	1,76,915
अन्य व्यय	98,771	14,787
प्रकाशन की लागत	15,49,861	17,59,637
सीएससीपी सामान्य व्यय	1,465	1,312
विद्युत एवं जल प्रभार	50,49,076	46,58,970
कार्यालय बीमा व्यय	70,955	70,642
बैठक एवं सेमिनार व्यय	85,77,191	1,02,83,749
एनडीएमसी गृह कर	27,61,309	31,94,738
कार्यालय व्यय	8,94,036	7,87,382
टिकट एवं टेलीग्राम	86,473	72,245
व्यावसायिक प्रभार	2,44,60,959	2,30,02,047
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी व्यय	6,75,020	9,24,481
मरम्मत एवं रख-रखाव	35,53,365	40,65,805
सुरक्षा व्यय	16,05,158	12,36,627
टेलीफोन एवं इंटरनेट व्यय	8,53,500	9,17,446
यात्रा एवं वाहन	28,77,626	25,68,689
समाचार पत्र, पुस्तक एवं पत्र पत्रिका	2,87,944	4,61,511
ग्राहक शुल्क एवं सदस्यता व्यय	8,88,937	1,75,924
Total Carried Forward	7,02,32,738	7,04,37,509

हस्ता/-
लेखाकार

हस्ता/-
सहायक निदेशक, वित्त

हस्ता/-
उप महानिदेशक

हस्ता/-
महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपए में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कुल अग्रनीत	14,92,38,166	13,99,33,578	कुल अग्रनीत	7,02,32,738	7,04,37,509
			II. अचल परिसंपत्तियों के लिए भुगतान		
			कंप्यूटर / उपसाधन	13,25,734	8,94,099
			फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स	4,95,725	4,14,237
			पुस्तकालय की किताबें एवं पत्र-पत्रिकाएं	44,58,091	45,51,450
			इलेक्ट्रानिक इंस्टालेशन	67,640	–
			पुस्तकालय की आई टी अवसंरचना	6,99,943	–
			कार्यालय उपस्कर	12,58,020	4,61,612
			पुस्तकालय के जीर्णोद्धार के संबंध में पूंजी कार्य प्रगति पर है	5,24,142	7,73,583
			III. प्रतिभूति निक्षेप/ऋणों का प्रतिदाय		
			प्रतिभूति जमा वापसी-पुस्तकालय	11,200	5,600
			IV. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
			के.लो.नि.वि. को भुगतान	30,00,000	3,17,48,211
			प्रतिभूति जमा - एमटीएनएल	–	500
			परियोजना का उपयोग	89,33,890	34,19,763
			अप्रयुक्त परियोजना अनुदान की अदायगी	1,34,90,083	14,66,839
			अनुसंधान/सेमिनार हेतु अनुदान	38,65,618	27,83,172
			अन्य अग्रिम	8,41,491	3,44,288
			कर्मचारियों को त्योहार का अग्रिम भुगतान	–	5,163
			रद्द चेकों के विरुद्ध भुगतान	35,340	1,13,162
			V. इतिशेष		
			(क) नकद रोकड़	–	–
			(ख) बैंक में जमाराशि		
			i) भारतीय स्टेट बैंक चालू खाता	2,26,620	17,50,032
			ii) भारतीय स्टेट बैंक में जमा खाता	2,70,00,000	–
			iii) भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता	1,27,66,151	2,07,50,157
			(ग) अन्य		
			अग्रदाय खाता	5,000	5,000
			प्रेषक के पास डाक टिकटें	740	9,202
कुल	14,92,38,166	13,99,33,578	कुल	14,92,38,166	13,99,33,578

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29/05/2017

हस्ता/-
लेखाकार

हस्ता/-
सहायक निदेशक, वित्त

हस्ता/-
उप महानिदेशक

हस्ता/-
महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
31 मार्च, 2017 का तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
संग्रह/पूंजी निधि एवं देनदारियां			
संग्रह/पूंजी निधि	1	1,94,41,558	1,53,70,538
निर्धारित/अक्षय निधि	2	-	3,10,093
आस्थगित आय	3	12,77,90,770	13,04,89,270
वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान	4	7,82,38,126	6,85,78,154
कुल		22,54,70,454	21,47,48,055
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	5	12,87,34,453	13,15,02,640
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	6	9,67,36,001	8,32,45,415
कुल		22,54,70,454	21,47,48,055
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	13		
आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पणी	14		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाकार	सहायक निदेशक, वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
केन्द्रीय सरकार से अनुदान (अनुसूची 4, 4 बी देखिए)		8,26,18,980	7,08,96,595
सदस्यता फीस	7	85,240	57,898
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	8	10,97,198	88,352
अर्जित ब्याज	9	24,86,181	10,99,625
अन्य आय	10	1,42,96,569	1,38,90,750
कुल (क)		10,05,84,168	8,60,33,220
व्यय			
स्थापना व्यय	11	1,83,64,958	1,54,43,336
अन्य प्रशासनिक व्यय	12	5,78,48,543	5,22,48,525
अनुसंधान/सेमिनार हेतु अनुदान पर व्यय		47,64,618	18,01,384
प्रकाशनों की लागत		16,40,861	15,45,625
मूल्य ह्रास (देखिए अनुसूची 5)		1,38,94,168	1,37,17,171
कुल (ख)		9,65,13,148	8,47,56,041
शेष अधिक होने के कारण/(कमी) (क-ख)		40,71,020	12,77,179
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	13		
आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पणी	14		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29/05/2017

हस्ता/- लेखाकार | हस्ता/- सहायक निदेशक, वित्त | हस्ता/- उप महानिदेशक | हस्ता/- महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
31 मार्च, 2017 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 1- संग्रह/पूंजी निधि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष		1,53,70,538		1,40,93,359
जोड़िए: संग्रह/पूंजी निधि में अंशदान	-		-	
जोड़िए: आय और व्यय लेख से अंतरित शुद्ध/व्यय का अतिशेष	40,71,020		12,77,179	
		40,71,020		12,77,179
वर्ष के अंत में अतिशेष		1,94,41,558		1,53,70,538

अनुसूची 2- निर्धारित/अक्षय निधियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) निधियों का प्रारंभिक अतिशेष	3,10,093	4,69,458
ख) निधियों में परिवर्धन:		
दान/चंदा/वापसी/स्थानांतरण	2,17,54,640	47,27,237
निधियों के मद्देनजर किए गए निवेशों से आय	-	-
ग) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपभोग/व्यय		
i. पूंजी व्यय		
- अचल परिसंपत्तियां	-	-
- अन्य	-	-
ii. राजस्व व्यय		
- वेतन, मजदूरियां और भत्ते आदि	-	-
- अन्य		-
- अन्य - यात्रा एवं अन्य व्यय	89,33,890	34,19,763
iii. अप्रयुक्त अनुदानों का प्रतिदाय / अंतर्लेखे का समायोजन	1,34,90,083	14,66,839
वर्ष के अंत में शुद्ध अतिशेष (क+ख+ग)	(3,59,240)	3,10,093
अनुसूची 6-ख में स्थानांतरित नामे शेष (निवल)	(3,59,240)	-
	-	3,10,093

अनुसूची 3- आस्थगित आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक अतिशेष	13,04,89,270	13,47,32,811
जोड़िए: अवक्षयणीय नियत आस्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित अनुदान (शुद्ध)	1,11,47,625	95,58,312
घटाइए: ऐसी आस्तियों पर प्रभारित अवक्षयण के बराबर रकम जो आय और व्यय लेखे में अंतरित कर दी गई है।	1,38,46,125	1,38,01,853
कुल	12,77,90,770	13,04,89,270

हस्ता/- लेखाकार   हस्ता/- सहायक निदेशक, वित्त   हस्ता/- उप महानिदेशक   हस्ता/- महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
31 मार्च, 2017 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 4- वर्तमान देनदारिया और प्रावधान				
क. वर्तमान देनदारियां				
1) विविध लेनदार		6,83,759		10,20,999
2) प्राप्त किया गया अग्रिम		51,376		35,316
3) सांविधिक देनदारियां				
क) अतिदेय	-		-	
ख) अन्य	3,64,262	3,64,262	2,10,316	2,10,316
4) अन्य चालू दायित्व				
क) प्रतिभूति जमा	5,35,940		8,85,515	
ख) केन्द्र सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान (4.4 (ख) एससीएच संदर्भ देखें)	6,64,56,522		5,87,40,400	
ग) देय वेतन एवं भत्ते घ) देय वेतन एवं भत्ते	9,28,898		7,42,798	
घ) अन्य देनदारियां	6,17,509	6,85,38,869	4,26,123	6,07,94,836
कुल (क)		6,96,38,266		6,20,61,467
ख. प्रावधान				
ग्रेच्यूटी के लिए प्रावधान		85,99,860		65,16,687
कुल (ख)		85,99,860		65,16,687
कुल (क+ख)		7,82,38,126		6,85,78,154

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाकार	सहायक निदेशक, वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2017 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 4.4 (ख) केंद्रीय सरकार से अनुप्रयोजित अनुदान		
आरंभिक अतिशेष	5,87,40,400	2,41,95,307
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान (सामान्य एवं वेतन)	10,14,82,727	11,50,00,000
	16,02,23,127	13,91,95,307
घटाइए: केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान का आय और व्यय लेखे में अंतरण	8,26,18,980	7,08,96,595
	7,76,04,147	6,82,98,712
घटाइए: अवक्षयणीय नियत परिसंपत्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित (आस्थगित आय का अंतरण)	1,11,47,625	95,58,312
उपयोग न किया गया अनुदान, जिसमें अग्रिम सम्मिलित है	6,64,56,522	5,87,40,400
कुल	6,64,56,522	5,87,40,400

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाकार	सहायक निदेशक, वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
31 मार्च, 2017 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5 - अचल परिसंपत्ति

(राशि रु. में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत पर योग	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
स्वयं की निधि से बाहर अधिग्रहीत अचल संपत्तियां										
1. भवन	28,65,530	-	-	28,65,530	18,89,595	48,796	-	19,38,391	9,27,139	9,75,935
2. फर्नीचर, फिक्चर्स	11,56,195	-	9,67,795	1,88,400	11,27,224	(1,255)	9,47,614	1,78,355	10,045	28,971
3. कार्यालय उपस्कर	51,097	-	51,097	-	49,854	(220)	49,634	-	-	1,243
4. पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	38,967	-	-	38,967	31,746	722	-	32,468	6,499	7,221
उप - जोड़ (क)	41,11,789	-	10,18,892	30,92,897	30,98,419	48,043	9,97,248	21,49,214	9,43,683	10,13,370
केंद्रीय सरकार के अनुदान से बाहर अर्जित नियत परिसंपत्तियां										
1. भवन	6,32,39,847	8,93,039	-	6,41,32,886	98,70,031	26,90,816	-	1,25,60,847	5,15,72,039	5,33,69,816
2. फर्नीचर, फिक्चर	4,16,65,134	20,29,865	-	4,36,94,999	2,04,87,302	33,62,334	-	2,38,49,636	1,98,45,363	2,11,77,832
3. कार्यालय उपस्कर	1,28,38,304	46,87,880	-	1,75,26,184	70,72,698	12,21,565	-	82,94,263	92,31,921	57,65,606
4. कंप्यूटर/उपसाधन	1,32,99,015	13,25,734	-	1,46,24,749	1,02,00,514	9,80,613	-	1,11,81,127	34,43,622	30,98,501
5. पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	3,26,87,979	44,08,609	-	3,70,96,588	1,21,18,261	23,57,505	-	1,44,75,766	2,26,20,822	2,05,69,718
6. पुस्तकालय आईटी अवसंरचना	1,31,93,985	6,99,943	-	1,38,93,928	1,07,48,936	6,98,755	-	1,14,47,691	24,46,237	24,45,049
7. विद्युत इंस्टालेशन	2,71,41,555	46,61,229	-	3,18,02,784	1,28,41,241	24,94,639	-	1,53,35,880	1,64,66,904	1,43,00,314
8. साइकिल एवं रिक्शा	7,000	-	-	7,000	4,127	431	-	4,558	2,442	2,873
9. जल आपूर्ति प्रणाली	10,12,815	-	-	10,12,815	2,23,481	39,467	-	2,62,948	7,49,867	7,89,334
उप - जोड़ (ख)	20,50,85,634	1,87,06,299	-	22,37,91,933	8,35,66,591	1,38,46,125	-	9,74,12,716	12,63,79,217	12,15,19,043
चालू वर्ष का योग (क+ख)	20,91,97,423	1,87,06,299	10,18,892	22,68,84,830	8,66,65,010	1,38,94,168	9,97,248	9,95,61,930	12,73,22,900	12,25,32,413
पिछला वर्ष	20,08,14,013	85,25,592	1,42,182	20,91,97,423	7,29,47,839	1,37,24,280	7,109	8,66,65,010	12,25,32,413	-
जारी पूंजीगत कार्य									14,11,553	89,70,227
कुल									12,87,34,453	13,15,02,640

हस्ता/-
लेखाकार

हस्ता/-
सहायक निदेशक, वित्त

हस्ता/-
उप महानिदेशक

हस्ता/-
महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
31 मार्च, 2017 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 6 –चालू परिसंपत्तियां ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू परिसंपत्तियां:				
1 फुटकर देनदार		-		-
2 कुल शेष राशि (चेक/ड्राफ्ट तथा अग्रदाय शामिल)		5,740		14,202
3 बैंक शेष				
अनुसूची बैंक साथ				
- चालू खाता (भारतीय स्टेट बैंक)	2,26,620.00		17,50,032.00	
- जमा खाता (भारतीय स्टेट बैंक)	2,70,00,000.00			
- बचत खाता (भारतीय स्टेट बैंक)	1,27,66,151.00		2,07,50,156.00	
		3,99,92,771		2,25,00,188
कुल (ख)		3,99,98,511		2,25,14,390
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां				
1 अग्रिम एवं अन्य वसूली योग्य नकद धनराशि अथवा प्राप्त किया जाने वाला मूल्य				
क) पूंजीगत लेखे पर- सीपीडब्ल्यूडी		5,18,39,046		5,60,96,183
ख) पूर्व-भुगतान		21,11,038		20,92,588
ग) आयकर (टीडीएस) वसूली योग्य		1,23,960		73,690
घ) निर्धारित निधि लेखे पर		3,59,240		-
ङ) अन्य		19,62,822		24,68,564
2 उपार्जित आय				
क) जमा लेखे पर		3,41,384		-
कुल (ख)		5,67,37,490		6,07,31,025
कुल (क + ख)		9,67,36,001		8,32,45,415

हस्ता/- लेखाकार | हस्ता/- सहायक निदेशक, वित्त | हस्ता/- उप महानिदेशक | हस्ता/- महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
31 मार्च, 2017 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 7 सदस्यता फीस		
पुस्तकालय सदस्यता	85,240	57,898
कुल	85,240	57,898

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 8 रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय		
रॉयल्टी	10,97,198	88,352
कुल	10,97,198	88,352

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची - 9 अर्जित ब्याज		
1) निर्धारित बैंक के साथ जमा शर्तों पर (भारतीय स्टेट बैंक)	3,41,384	-
2) निर्धारित बैंक के साथ बचत खाते पर (भारतीय स्टेट बैंक)	21,44,797	10,99,625
कुल	24,86,181	10,99,625

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 10 अन्य आय		
क) आस्थगित आय से अंतरित (देखिए अनुसूची 3)	1,38,46,125	1,38,01,853
ख) लिखित देनदारी-छूट (प्रत्याभूत जमा- आडिटोरियम)	3,74,775	-
ग) विविध आय	75,669	88,897
कुल	1,42,96,569	1,38,90,750

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाकार	सहायक निदेशक, वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

-11-

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2017 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 11 स्थापना व्यय		
क) वेतन और मजदूरियां	1,36,70,916	1,20,92,827
ख) बोनस	–	91,531
ग) कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि का अंशदान	11,37,257	9,22,856
घ) कर्मचारी कल्याण व्यय	21,377	–
ड.) प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार - आर.पी.एफ.सी.	16,922	14,375
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत लाभों (उपदान) पर किया जाने वाला व्यय	21,97,009	9,20,117
छ) चिकित्सा व्यय (निवल वसूली)	12,14,415	13,13,458
ज) कर्मचारी समूह बीमा	1,07,062	88,172
कुल.	1,83,64,958	1,54,43,336

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 12 अन्य प्रशासनिक व्यय		
क) लेखा फीस	1,09,300	1,76,915
ख) सीएससीएपी - सामान्य व्यय	1,465	1,312
ग) विज्ञापन खर्च	1,53,274	56,856
घ) विद्युत एवं जल	52,00,454	47,96,729
ड.) सेमीनार/कार्यशाला पर व्यय	93,24,937	73,03,337
च) कार्यालय बीमा	70,642	69,325
छ) एनडीएमसी संपत्ति कर	27,61,309	31,94,738
ज) कार्यालय व्यय	8,82,218	7,84,923
झ) डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	9,37,746	9,34,705
ञ) मुद्रण और लेखन सामग्री	6,73,866	8,07,620
ट) वृत्तिक एवं अन्य मानव शक्ति प्रभार	2,42,57,808	2,18,45,250
ठ) रख-रखाव एवं मरम्मत	77,62,699	79,51,910
ड) सुरक्षा व्यय	14,91,070	12,61,924
ढ) यात्रा एवं वाहन व्यय	29,43,538	24,19,671
ण) अन्य व्यय	98,771	14,880
त) समाचारपत्र, पुस्तक और पत्रिकाएं	2,64,993	3,57,375
थ) ग्राहकी एवं सदस्यता शुल्क	8,87,153	1,61,699
द) वेबसाइट व्यय	–	1,09,356
ध) पूर्व अवधि व्यय	27,300	–
कुल	5,78,48,543	5,22,48,525

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाकार	सहायक निदेशक, वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 13 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. <u>लेखाकरण अभिसमय</u>

जब तक कि अन्यथा कथित न हो, लेखाओं की ऐतिहासिक लागत अभिसमय के आधार पर और साधारणतया लेखाकार की प्रोद्भवन पद्धति पर तैयार किया गया है सिवाय सीएससीएपी अनुदान और उपयोग के संबंध में जोकि नकद आधार पर उपयोग किया जाता है।

2. <u>अचल संपत्तियां और मूल्यह्रास</u>

2.1 अचल परिसंपत्तियों का निर्धारण अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है, जिनके अंतर्गत अर्जन के संबंध में अनुषंगी और प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित हैं।

2.2 नियत आस्तियों का मूल्यांकन लागत पर, उसमें से एकत्रित अवक्षयण को घटाकर किया गया है। नियत आस्तियों पर अवक्षयण, प्रबंधन द्वारा विनिश्चित किए गए, अनुसार समुचित दरों पर अपलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया गया है:

भवन	5%
पुस्तकालय पुस्तकें और पत्रिकाएं	10%
फर्नीचर और फिक्स्चर	15%
कार्यालय उपस्कर	15%
कम्प्यूटर/उपसाधन	25%
विद्युत प्रतिष्ठान	15%
साइकिलें	15%
जल आपूर्ति प्रणाली	5%

रिपोर्ट के अधीन वर्ष के 1 अक्तूबर को या उसके पश्चात क्रय की गई आस्तियों का उपरोक्त कथित दरों से 50% का अवक्षयण कर लिया गया है।

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकार	सहायक निदेशक, वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

3. <u>राजस्व मान्यता</u>

3.1 विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदानों/अभिदायों को प्रारंभ में दायित्व के रूप में माना गया है और उन्हें वर्ष के दौरान उपयोग के अनुसार पूंजी या राजस्व व्ययों के लिए समायोजित किया गया है।

3.2 अवक्षणीय आस्तियों के लिए उपयोग की गई सीमा तक अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और उसे प्रणालीबद्ध तथा सुसंगत आधार पर आय और व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

3.3 साधारणतया, राजस्व व्यय के लिए उपयोजित अनुदानों को वर्ष के दौरान आय माना गया है।

4. <u>विदेशी मुद्रा में लेनदेन</u>

लेन देन की तिथि को जारी विदेशी मुद्रा में वर्णित लेनदेन की गणना विदेश मंत्रालय के विनिमय की अधिकृत दर (ओआरई) पर की गई है।

5. <u>सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ</u>

भविष्य निधि में कर्मचारियों और नियोक्ता के अंशदान को ई पी एफ ओ को अंतरित किया जाता है।

उपदान के लिए प्रावधान की संगणना इस उपधारणा पर की जाती है कि उपदान सभी कर्मचारियों को लेखाकरण वर्ष की समाप्ति पर संदेय है। उपदान की ऐसी रकम को राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 29/05/2017

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकर	सहायक निदेशक, वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 14 आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पण

1. आकस्मिक देनदारियां :

क. श्री एच.एस. चड्ढा, एसी संयंत्र प्रचालक नामक कर्मचारी की सेवाएं प्रबंधन द्वारा 01 अप्रैल, 1995 से 26 सितंबर, 2001 के दौरान समाप्त कर दी गई थीं। उन्होंने सेवा समाप्ति के विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया था और निचली अदालत ने आईसीडब्ल्यू को कर्मचारी को पिछली पूरी अवधि का पारिश्रमिक देने का निदेश देते हुए आदेश पारित किया। आई सी डब्ल्यू द्वारा निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किए जाने के कारण 2.00 लाख रुपए की देनदारी का भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आईसीडब्ल्यूए ने न्यायालय के पास 1,01,205/- रुपए जमा करा दिए हैं, जिन्हें तुलन पत्र में अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

ख. आईसीडब्ल्यूए के विरुद्ध अन्य मामलों के संबंध में देनदारियां, यदि कोई हैं – शून्य

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं: अग्रिम निवल - शून्य

3. विश्व मामलों की भारतीय परिषद एक ऐसी सोसाइटी है जो कि पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है, विश्व मामलों की भारतीय परिषद को एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में 1943 में स्थापित किया गया था। विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय ने भारतीय विश्व कार्य संबंधी परिषद अध्यादेश, 2000 (2000 का 3) जारी किया था, जिसके द्वारा परिषद के प्रबंधन को भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। इस अध्यादेश को अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्या 29) के अधिनियम द्वारा और विनियमित किया गया था। वर्तमान में परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से मिलने वाले अनुदानों द्वारा वित्तपोषित है।

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकर	सहायक निदेशक, वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

4. सीएससीएपी-भारत और विश्व में विविध सीएससीएपी की बैठक आयोजित करने के लिए परिषद विदेश मंत्रालय से सीएससीएपी अनुदान प्राप्त करती है। परिषद केवल अनुदान के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है अर्थात अनुदान को प्राप्त करना तथा उसका प्रत्येक अनुदान के लिए विशिष्ट मंजूरियों हेतु उसका उपयोग करना। परिषद का दृष्टिकोण है कि सीएससीएपी लेनदेन परिषद के अतिशेष / कमी से प्रभावित नहीं होगा और तदनुसार नकद आधारित लेखाविधि के लिए जिम्मेवार होगा।

5. जहां कही आवश्यक था, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध या पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि वह चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप हो सके।

6. अंतिम लेखों में अंकों को निकटतम पूर्ण रुपयों में लिखा गया है।

7. अचल परिसंपत्ति में पूर्ण विवरण दिए गए हैं, जिसमें सरकार द्वारा अधिकार में लिए जाने से पहले पूर्व प्रबंधन द्वारा सुरक्षित रखी गई सभी अचल परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरण एवं अवस्थिति शामिल है, उपलब्ध नहीं है। अभिलेखों और साथ ही भौतिक सत्यापन संबंधी किसी रिपोर्ट की अनुपस्थिति में, वर्तमान प्रबंधन नियत आस्तियों के संबंध में लेखा बहियों में किन्हीं विसंगतियों, यदि कोई हों, के संबंध में कार्यवाही नहीं कर सकता था।

8. उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्तमान प्रबंधन के पास लीज रेंट की कोई देनदारी नहीं है। यदि भूमि की लागत भवन की लागत (व्यक्ति निधि) का एक भाग है तो क्या भवन पर प्रभारित मूल्यह्रास सामान्यतया स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के विपरीत होगा।

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29/05/2017

****

नोटः प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित वार्षिक लेखा 2016-17 का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होगी, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकर	सहायक निदेशक, वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए विश्व मामलों की भारतीय परिषद के लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अंतिम पृथक रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2017 के अनुसार विश्व मामलों की भारतीय परिषद के संलग्न तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 जिसे विश्व मामलों की भारतीय परिषद (संशोधन) अधिनियम 2003 की धारा 20 (2) पढ़ा जाता है, की है। इन वित्तीय विवरणों की जवाबदेही विश्व मामलों की भारतीय परिषद की है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय ब्यौरों पर विचारों की अभिव्यक्ति करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सिर्फ लेखा उपचार पर वर्गीकरण, बेहतर लेखा अभ्यास की संपुष्टि, लेखा मानक एवं प्रकटन मानक आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियम एवं विनियम (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा दक्षता सह प्रदर्शन पहलू आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण यदि कोई हो, तो उसे निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।

3. भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानक के अनुसार लेखापरीक्षा की गई है। इन मानकों को अपेक्षा होती कि हम जो लेखापरीक्षा करते हैं उनके वित्तीय विवरण में मटीरियल संबंधी मिथ्या विवरण न होने के संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त हों। लेखापरीक्षा में जांच आधार पर परीक्षण, वित्तीय विवरण में राशियों एवं प्रकटन की पुष्टि करने वाले साक्ष्य शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांत का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा वित्तीय विवरणों के सभी प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत को समुचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i. जहां तक हमें पता है और विश्वास है हमने लेखापरीक्षा के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर ली हैं;

ii. इस रिपोर्ट के साथ पेश किए गए तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखे के प्रारूप को लेखा, महानियंत्रक, विदेश मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है।

iii. पुस्तक का परीक्षण करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम, 2003 की धारा 20 (1) की आवश्यकतानुसार लेखा की समुचित पुस्तकें एवं अन्य प्रासंगिक रिकार्ड विश्व मामलों की भारतीय परिषद द्वारा तैयार की गई हैं।

iv. आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. तुलन पत्र

क.1 देनदारी

परिषद ने इस धारणा पर ग्रेच्युटी के लिए 86.00 लाख रुपये का प्रावधान किया है कि वर्ष के अंत में सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देना है। हालांकि, परिषद ने एस-15 में निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर इसका प्रावधान नहीं किया है।

ख. आय एवं व्यय

ख.1 परिषद ने वर्ष 2016-17 के दौरान पेय पदार्थों की खरीद के लिए 2.21 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो कि पूर्व वर्ष 2011 से 2014 के दौरान हुए सम्मेलन/सेमिनारों से संबंधित है। इस तरह के व्यय को चालू वर्ष के व्यय की बजाय पूर्व अवधि के आय एवं व्यय व्यय खाते में दिखाया जाना चाहिए।

ख.2 इसी तरह वर्ष 2016-17 के दौरान सम्मेलन एवं सेमिनार के लिए पेय पदार्थों की खरीद हेतु 0.93 लाख रुपए के बकाया बिल का मामला प्रोटोकॉल विभाग, मंत्रालय द्वारा नहीं उठाया गया। तथापि, पेयदार्थों पर हुए खर्च की बकाया राशि के भुगतान के लिए खाते में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप आय एवं व्यय खाते में 93 लाख रुपए के खर्च पर और तुलन पत्र में देनदारियों/प्रावधानों पर परदा डाल दिया गया है।

ग. सहायता अनुदान

ग.1. विश्व मामलों की भारतीय परिषद को मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से वित्तीय सहायता अनुदान मिलता है। वर्ष 2016-17 के दौरान परिषद ने गैर योजना के तहत 1014.83 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ तथा 587.40 लाख रुपए की पूर्व वर्ष की अपव्ययित अथशेष राशि थी। परिषद ने 937.67 लाख रुपए की अनुदान राशि का उपयोग किया तथा 664.56 लाख रुपए अप्रयुक्त शेष राशि है। इसके अतिरिक्त परिषद के पास निर्धारित निधि के अंतर्गत विदेश मंत्रालय की परियोजनाओं के लिए 3.10 लाख रुपए प्रारंभिक जमा राशि थी तथा वर्ष के दौरान 217.55 लाख रुपए अनुदान राशि के रूप में प्राप्त हुए, जिनमें से 89.34 लाख रुपए व्यय हुए एवं 134.90 लाख रुपए वापस किए जाने के पश्चात 3.59 लाख रुपए की राशि शेष थी। परिषद को विभिन्न स्रोतों से भी 179.65 लाख रुपए प्राप्त हुए।

घ. सामान्य

घ.3 वर्ष 2016-17 के परिषद के अभिलेखों की जांच से पता चला है कि वर्ष 2014-15 में विदेश मंत्रालय को 4.31 लाख रुपए की अग्रिम राशि विश्व मामलों की भारतीय परिषद के प्रतिनिधिमंडल की दक्षिणी कोरिया की यात्रा के लिए दी गई थी। बिल के समायोजन के बाद 2.96 लाख रुपए विदेश मंत्रालय से वसूल की जानी है, जो कि अभी भी बकाया है। चूंकि प्रतिनिधिमंडल को दौरा किए हुए एक लंबा वक्त गुजर चुका है, इसलिए परिषद को उपर्युक्त अग्रिम राशि की वसूली के लिए प्रयास करना चाहिए।

ङ. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उनके निदान/सुधार हेतु प्रबंधन के माध्यम से अलग से एक पत्र जारी कर परिषद के संज्ञान में लाया गया है।

v) पूर्ववर्ती पैराग्राफ में की गई अपनी टिप्पणी के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र एवं आय तथा व्यय लेखे की लेखा बही से सहमति है।

vi) मेरी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण को लेखा नीतियों एवं एकाउंट नोट के साथ पढ़ लिया गया है, बशर्ते इस लेखापरीक्षा के अनुबंध-1 में उल्लिखित ऊपर उद्धृत महत्वपूर्ण विषय एवं अन्य विषयवस्तु भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों की समनुरूपता का सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हों।

क. जहां तक कि 31 मार्च, 2017 तक की विश्व मामलों की भारतीय परिषद के राज्य मामलों के तुलन पत्र का संबंध है, और

ख. जहां तक कि 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे के अधिशेष का संबंध है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एवं की ओर से

हस्ता./-
महानिदेशक, लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.10.2017

अनुबंध-1

विश्व मामलों की भारतीय परिषद की वर्ष 2016-17 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट:

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली :

प्रधान, मुख्य नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय द्वारा 2014-15 से 2015-16 की अवधि के लिए परिषद की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई।

2. आंतरिक नियंत्रक प्रणाली की प्रचुरता :

पर्यावरण नियंत्रण

- ड्यूटी की कोई पृथकता नहीं थी, क्योंकि बिल बनाने एवं नकद वितरण का कार्य एक ही कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था और कोई जॉब रोटेशन भी नहीं थी।

3. अचल आस्त्यिों की भौतिक सत्यापन प्रणाली :

परिषद ने अपने उत्तर में बताया है कि अचल आस्तियों का भौतिक सत्यापन निम्नानुसार किया गया है :

क्र.सं.	आस्ति पंजिका	भौतिक सत्यापन की तिथि
1.	कार्यालय उपकरण, फर्नीचर एवं फिक्सचर, भवन, इलेक्ट्रिक इंस्टालेशन, साइकल एवं रिक्शा तथा जल आपूर्ति प्रणाली (केवल अनुदान से)	10.07.2017
2.	पुस्तकालय की किताबें एवं पत्रिकाएं	11.12.2012
3.	कंप्यूटर/पेरिफेरियल, पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना	10.07.2017

परिषद ने सभी परिसंपत्तियों का एक समेकित कंप्यूटरीकृत अचल संपत्ति रजिस्टर तथा फर्नीचर एवं फिक्सचर, इलेक्ट्रानिक इंस्टालेशन के लिए एक अलग रजिस्टर बना रखा है। हालांकि, जीएफआर में किए गए प्रावधानों के अनुसार अचल संप्पतियों के समेकित कंप्यूटरीकृत रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। फर्नीचर एवं फिक्सचर, इलेक्ट्रानिक इंस्टालेशन के भौतिक सत्पयान प्रमाणपत्र का रिकार्ड एक अलग रजिस्टर में पाया गया। तथापि, लेखापरीक्षा को भौतिक सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई।

वस्तु सूची की भौतिक सत्यापन प्रणाली

मदों की सूची का भौतिक सत्यापन निम्नानुसार किया गया है :

क्र.सं.	स्टॉक/सूची पंजिका	भौतिक सत्यापन की तिथि
1.	सफाई सामग्री एवं अनुरक्षण/अनुभाग उपभोज्य	10.07.2017
2.	आई टी उपभोज्य एवं अन्य संबंधित सामग्री	10.07.2017
3.	लेखन सामग्री	12.07.2017

- जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार स्टॉक की कीमत का मूल्यांकन करने के लिए रजिस्टर में की गई स्टॉक/स्टॉर के प्रत्येक मद की यूनिट कीमत की प्रविष्टि का उल्लेख साफ तौर पर करना आवश्यक है। पेय पदार्थों एवं आईटी/इलेक्ट्रिकल मदों से संबंधित विभिन्न स्टॉक तथा स्टोर रजिस्टर की जांच से पता चला है कि ज्यादातर मामलों में यूनिट की कीमत का उल्लेख रजिस्टर में नहीं किया गया है।

- पेय पदार्थ स्टॉक रजिस्टर के अनुसार परिषद ने 68 बीयर की बोतलों को प्रयोग की तिथि समाप्त हो जाने के कारण नष्ट कर दिया; हालांकि प्रचलित/एक्सपायर्ड स्टॉक के निदान के लिए निर्धारित जीएफआर 2005 का नियम 196 में किए गए प्रावधानों का अनुपालन किए बिना स्टॉक को नष्ट किया गया।

4. सांविधिक देनदानियों के भुगतान में नियमितता

31.03.2017 तक कोई सांविधिक देनदारियां नहीं हैं।

हस्ता./-
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (ई ए)

****

नोट: प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होगी, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।